प्रभात खबर

आवंटियों का संघ पूरा करेगा अग्रणी होम्स की आइओबी नगर परियोजना

संवाददाता, पटना.

राजधानी पटना के खगौल स्थित अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड की लैप्स हो चुकी परियोजना आइओबी नगर ब्लॉक 'बी 'को अब उस परियोजना से जुड़े आवंटियों के संघ (एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज) द्वारा पूरी की जायेगी. रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह और सदस्य एसडी झा की खंड पीठ ने इससे संबंधित मामले में आदेश सुनाते हुए आवंटियों के संघ द्वारा शेष विकास कार्य स्वयं पूरा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और मामले को रेरा अधिनियम की धारा आठ के तहत राज्य सरकार को परामर्श के लिए भेज दिया है. सरकार का जवाब मिलने के बाद आवंटियों के संघ को प्रोजेक्ट का रेरा बिहार में निबंधन करा कर इसे पूरा करने के लिए सौंप दिया जायेगा. इससे ऐसे आवंटियों को राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस प्रोजेक्ट में लगायी है. रेरा बिहार की खंडपीठ द्वारा शुक्रवार को सुनाये गये इस फैसले का दूरगामी असर होगा. इस आदेश से कई ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट के आवंटी प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में आदेश पारित होने के बाद एसोसिएशन बनाकर राहत पाने के लिए रेरा बिहार में मामला दर्ज करा सकते हैं और खुद प्रोजेक्ट पूरा करा सकते हैं. मालूम हो कि अगर प्रमोटर निबंधन अवधि के अंत तक निबंधित प्रोजेक्ट को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रोजेक्ट लैप्स हो जाता है.

आदेश पारित होने के बावजूद नहीं लौटाया था पैसा : अग्रणी होम्स के आइओबी नगर प्रोजेक्ट मामले में श्वेता, गीता कुमारी, कृति कुमारी, मुकेश कुमार और डॉ राणा नागेंद्र कुमार सिंह सहित कई आवंटियों ने बिल्डर को 8.25 लाख रुपये से लेकर 27.19 लाख तक की राशि का भुगतान किया था, पर प्रमोटर समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने में विफल रहा. इस संबंध में दायर याचिकाओं पर रेरा ने धन वापसी का आदेश पारित किया था, लेकिन प्रमोटर ने भुगतान नहीं किया. परियोजना का निबंधन 31 अगस्त, 2019 को ही समाप्त हो गया था.